(15)

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

सरकार बनाम श्यामू

किस्म मुकदमा. इस्तगासा (राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम) मुकदमा न0 01/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.01.2026	पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक व वकील गैरसायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल श्यामू पुत्र रोशनलाल कोली निवासी नगला स्टोर थाना बयाना जिला भरतपुर के विरूद्व थानाधिकारी बयाना ने जरिये पुलिस अधीक्षक भरतपुर इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 5545 दिनांक 16.08.2016 को पेश किया गया। जिसमें गैरसायल के विरूद्व मुकदमा नम्बर 803/14, 2/15, 647/2015 व 360/16 में धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के प्रकरणों में जुर्माना से दण्डित किया जा चुका है। गैरसायल के चाल–चलन के सबंध में थाना अधिकारी बयाना से रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी हलैना के पत्रांक 8915 दिनांक 10.11.2020 से अवगत कराया है कि "गैरसायल सही तरीके से जीवनयान कर रहा है तथा उसका वर्तमान में चाल–चलन सही होना पाया गया है", का उल्लेख किया गया है तथा प्रकरण में साक्ष्य इस्तगासाओ के बयानात हेतु तलब किया गया किन्तु एक साक्ष्य इस्तगासा साक्ष्य हेतु उपस्थित हुये और शेष साक्ष्य इस्तागासाओ की तलवी बार–बार किये जाने पर भी कोई उपस्थित नही आया और उनकी साक्ष्य बंद की जाकर सुना गया। इस्तगासा में अंकित मुकदमात वर्ष 2016 के है। जिनमें गैरसायल को जुर्माने से दण्डित किया जाना अवगत कराया गया है। अभिभाषक गैरसायल द्वारा भी अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने से उसका भविष्य व जीवन बर्बाद हो जावेगा तथा परिवार व समाज में विपरीत असल उत्पन्न होगा। पत्रावली में वर्ष 2016 के बाद आज तक कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे कि गैरसायल के विरूद्व वर्तमान में भी गुण्डा एक्ट अपराधिक धारा किया गया कृत्य साबित होता हो। थानाधिकारी थाना बयाना ने गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत चाल–चलन एवं चरित्र की रिपोर्ट में उसका चरित्र सही होना दर्शाया गया है। इससे जाहिर होता है कि गैरसायल के विरूद्व वर्तमान में कोई भी प्रकरण दर्ज नही हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरूद्व कोई कार्यवाही किया जाना संभव नही है तथा 13 आरपीजीओ एक्ट में 8 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी गैरसायल के विरूद्व कोई प्रकरण दर्ज होने की सूचना प्राप्त नही हुई है। इससे जाहिर होता है कि विगत वर्षो में गैरसायल का चाल–चलन, चरित्र संतोष जनक प्रतीत होता है। वर्तमान में समाज पर किसी प्रकार का कोई भी कुप्रभाव दृष्टिगोचर नही होता है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही गैरसायल के विरूद्व किया जाना उचित नही पाते है। गैरसायल के विरूद्व प्राप्त इस्तगासा इसी स्तर पर	